आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 516/2025 अनवान ***कृपाशंकर शेखन पुत्र शेखन उर्फ शेषनराम बनाम विद्या देवी वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.26	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए (7) के तहत उपायुक्त (जोन–3) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांकः LU2012/JOD/2023-24/101895 दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत की गई थी। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अपील दिनांक 15.01.25 को उजर मियाद/उजर एतराज दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 27.01.25 को उक्त अपील में रेस्पो0सं0 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता "जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी" का प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति वकील अपीलांट को उपलब्ध करवायी गई। आदेशिका दिनांक 29.1.25 के अनुसार प्रकरण में वकील रेस्पो0सं0 1 के इस आग्रह पर कि प्रकरण में पहले अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर इस पर निर्णय पारित करावे, जो न्यायोचित होने से पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की अपेक्षा में लंबित चल रही थी। पत्रावली आदेशिका दिनांक 04.06.25 द्वारा स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने धारा 96	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सीपीसी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0सं0 1–विद्यादेवी एवं अन्य ने वादग्रस्त भूमि का फर्जी व कूटरचित दस्तावेज (बेचाननामा) के आधार पर रेस्पो0सं0 2–जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है। जिससे अपीलांट का हित प्रभावित होने से अपीलांट व्यथित व्यक्ति है। अतः प्रार्थी–अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट जिस बेचाननामें को फर्जी एवं कूटरचित बता रहा है, उस बेचाननामें को निरस्त करने का दावा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसमें अंतरिम निशेधाज्ञा प्रदान नही की गई। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। जबकि सिविल न्यायालय द्वारा बेचाननामा निरस्त नही करने तक अपीलांट के पक्ष में किसी भी प्रकार का मामला नही बनता है।

अपीलाधीन आदेश रेस्पो0सं0 1–विद्यादेवी के पक्ष में श्री डूंगरचन्द छाजेड बहैसियत आममुख्त्यार श्री कृपाशंकर पुत्र शेषनराम द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 12.04.23 व बेचान ना0क0सं0 5111/15.5.23 के आधार पर पारित किया गया है, जबकि उक्त अपील कृपाशंकर शेखन पुत्र शेखन उर्फ शेषनराम जरिये आम एवं खास मुख्त्यार ललित एम. भंसाली द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का हित प्रभावित नही है। अपीलांट ने रेस्पो0सं0 1 के पक्ष में विधिक बेचाननामें के आधार पर जो0वि0प्रा0 जोधपुर द्वारा की गई अपीलाधीन कार्यवाही को निष्प्रभावी करवाने के उद्धेश्य से यह अपील पेश की गई है, जिसका उसे विधिक अधिकार नही होने से उक्त अपील इसी आधार पर खारिज योग्य है। अतः

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट द्वारा अपील के साथ, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने तथा उक्त अपील इसी स्तर पर खारिज करने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश रेस्पो0सं0 1–विद्यादेवी के पक्ष में श्री डूंगरचन्द छाजेड बहैसियत आममुख्त्यार श्री कृपाशंकर पुत्र शेषनराम द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 12.04.23 व बेचान ना0क0सं0 5111 / 15.05.23 के आधार पर पारित किया गया है, जबकि उक्त अपील कृपाशंकर शेखन पुत्र शेखन उर्फ शेषनराम जरिये आम एवं खास मुख्त्यार ललित एम. भंसाली द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रथम दृष्टया अपीलांट का हित प्रभावित नही है। अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष मा0 सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पो0सं0 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 12.04.23 को निरस्त करने से पूर्व देय नही है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा उक्त अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9-2-26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ कार्यालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

9.2.26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर